न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 02/2018 आर्म्स अपील (RCMS/2018/00098)
पंजीयन दिनांक - 27.06.2018
निर्णय दिनांक - 14.09.2020

1. श्री अमृतपुरी गोस्वामी पिता श्री शंकरपुरी गोस्वामी, निवासी फरारा, पुलिस थाना राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

-अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थानन राज्य जरिये लोक अभियोजक

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री मनोज कोठारी - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार - प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 10.05.2018, प्रकरण संख्या-4008/2017

निर्णय

दिनांक 14.09.2020

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के प्रकरण संख्या-4008/2017 न्याय, में पारित आदेश दिनांक 10.05.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री अमृतपुरी गोस्वामी द्वारा एन.पी. 32 बोर रिवाल्वर सं.23 जॉनसन आर्म्स एंड सायकल वर्क्स युएसए का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या-28/1995 का दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2019 तक नवीनीकरण

हेतु दिनांक 20.12.2016 को जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा पत्रांक 250 दिनांक 12.01.2017 से अवगत कराया कि अनुज्ञाधारी श्री अमृतपुरी गोस्वामी के विरूद्ध प्रकरण संख्या-251/03 धारा 147, 341, 323, 149 भा.द.स. में दर्ज होकर चालान संख्या-146/03 दिनांक 17.06.2003 को न्यायालय में पेश हो दिनांक 07.12.2004 को सजा हुई है। प्र.स. 332/09 धारा 341, 323 आईपीसी में दर्ज होकर चालान सं. 239/2009 दिनांक 23.07.2009 को न्यायालय में पेश होकर दिनांक 23.07. 2009 को राजीनामा हुआ। प्र.स. 299/16 धारा 147, 149, 341, 323 आईपीसी में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 304/16 दिनांक 19.11.2016 को न्यायालय में पेश हुई। उक्त कारण से श्री अमृतपुरी गोस्वामी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत करना उचित नहीं दर्शाया गया। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान का आदेश दिनांक 28.02.2017 से अपराधिक प्रकरणों के निरस्तारण होने तक शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निलम्बित किया गया।

- जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के उक्त आदेश दिनांक 28.02.2017 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत की, जिसके अपील संख्या-02/2017-आर्म्स हुए। उक्त अपील में न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 03.10.2017 से जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 निरस्त करते हुए प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि नियमों के परिपेक्ष्य में पुनः जांच कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करें।

- न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश दिनांक 28.02.2017 की अनुपालना में जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु नवीन रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रकरण के तथ्यों के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा जनसुरक्षा की दृष्टि से अपीलार्थी के विरूद्ध न्यायालय में अन्तर्गत धारा-147, 149, 341, 323 आईपीसी में लंबित चार्जशीट के दोषसिद्धी निर्णय तक उनके कार्यालय से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र न. 28/95-राजसमन्द तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर उक्त लाईसेंस में दर्ज एन.पी. 32 बोर रिवाल्वर सं.23 जॉनसन आर्म्स एंड सायकल वर्क्स युएसए को पुलिस स्टेशन, राजनगर में जमा करने का आदेश दिनांक 10.05.2018 को पारित किया।

- उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी श्री अमृतपुरी गोस्वामी द्वारा दिनांक 12.06. 2018 को इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के प्रस्तुत की।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 17. 08.2020 को वकील पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की बात है, वर्णित प्रकरणों में आर्म्स से सम्बन्धित अपराध कोई अभियोग नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध कुल दर्ज तीन प्रकरणों में से दो प्रकरण निस्तारित हो चुके है। मात्र प्रकरण संख्या-299/2016, चार्जशीट न. 304/2016 दिनांक 19.11.2016 न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके निस्तारण में काफी लम्बा समय लगने की संभावना है। उक्त प्रकरण व्यक्तिगत द्ववेशता का प्रकरण है, किसी प्रकार का जनहित अर्थात समुदाय, मोहल्ले से सम्बन्धित नहीं है। दो पक्षों की लडाई को गलत ढ़ग से

रूप दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा आज तक उक्त शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है। आज तक आर्म्स एक्ट के तहत कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त आधारों पर अपीलाथ्री का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्र.स. 299/16 के निर्णय तक नवीनीकरण नहीं करना अवैद्यानिक है। अन्त में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा को नवीनीकरण किया जाना न्याय हित में आवश्यक मानते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अनुज्ञा नम्बर 28/1995-राजसमन्द को नवीनीकृत किये जाने का आदेश प्रदान कराये जाने का अनुरोध किया।

राजकीय पेरोकार द्वारा बहस में प्रस्तुत किया गया है कि जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द की रिपोर्ट अनुसार अनुज्ञाधारी आदतन अपराधी होकर बदमाश प्रवृति का है तथा उक्त आपराधिक प्रकरण साधारण प्रकृति का नहीं होकर गंभीर प्रकृति का है। अनुज्ञाधारी आपराधिक प्रवृति का होने से कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में जन सुरक्षा की दृष्टि से आवेदक अनुज्ञाधारी के विरूद्ध न्यायालय में धारा-147, 149, 341, 323 आईपीसी में लंबित चार्जशीट के दोषसिद्धी निर्णय तक उनके कार्यालय से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र न. 28/95-राजसमन्द तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर उक्त लाईसेंस में दर्ज एन.पी. 32 बोर रिवाल्वर सं.23 जॉनसन आर्म्स एंड सायकल वर्क्स युएसए को पुलिस स्टेशन, राजनगर में जमा करने का आदेश दिनांक 10.05.2018 को पारित किया जो जनसुरक्षा की दृष्टि से उचित होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि श्री अमृतपुरी गोस्वामी द्वारा एन.पी. 32 बोर रिवाल्वर सं.23 जॉनसन आर्म्स एंड सायकल वर्क्स युएसए का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या-28/1995 का दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2019 तक नवीनीकरण हेतु दिनांक 20.12.2016 को जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना

पत्र जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से रिपोर्ट प्राप्त कर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान का आदेश दिनांक 28.02.2017 से अपराधिक प्रकरणों के निरस्तारण होने तक शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निलम्बित किया गया। तत्पश्चात न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2017 को अपास्त कर आदेश दिनांक 03.10.2017 से प्रकरण पुनः नये सिरे आदेश बाबत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रेतिप्रेषित किया। उक्त आदेश की अनुपालना में जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा प्रकरण में पुनः जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से नवीन रिपोर्ट तलब की। जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 2255 दिनांक 12.03.2018 से अवगत कराया कि-

आवेदक ग्राम फरारा थाना राजनगर जिला राजसमन्द का मूल निवासी है। आवेदक का थाना राजनगर का देखने रिकार्ड से (1) प्रकरण संख्या 251/2003 धारा 147, 241, 323, 149 भा.द.स. में दर्ज हो चार्जशीट नम्बर 146/2003 दिनांक 17.06.2003 को न्यायालय में पेश हो दिनांक 07.12.2004 को सजा हुई। (2) प्रकरण संख्या 332/2009 धारा 341, 323 भा.द.स. में दर्ज हो चार्जशीट नम्बर 239/2009 दिनांक 23.07.2009 को राजीनामा हुआ है। (3) प्रकरण संख्या 299/16 धारा 147, 149, 341, 323 भा.द.स. में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 304/2016 दिनांक 19.11.2016 को न्यायालय में पेश हो जैर ट्रायल न्यायालय है।

आवेदक व फरारा गांववासीयों के मध्य कुन्तेश्वर महादेव मन्दिर का विवाद चल रहा है एवं आवेदक बदमाश प्रवृति का होकर आम शोहरत अच्छी नहीं है, ऐसी स्थिति में आवेदक का शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है।

पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त राजसमन्द व थानाधिकारी थाना राजनगर की जांच रिपोर्ट अनुसार आवेदक के शस्त्र लाईसेंस न. 28/95 को नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है।

प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि प्रकरण संख्या-251/2003 में अपीलार्थी को सजा होने का अंकन है। दुसरे प्रकरण में राजीनामा हुआ है और प्रकरण संख्या-299/16 जैर ट्रायल है। लम्बित प्रकरण साधारण प्रवृति का न होकर गंभीर प्रकृति होना जाहिर है। अपीलार्थी के विरूद्ध बार-बार अपराधिक प्रकरण दर्ज होना अनुज्ञाधारी की बदमाश प्रवृति को इंगित करता है। आयुध अधिनियम की धारा-14(1)(ख)(ii) अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी अध्याय 2 अधीन के किसी भी मामलें में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से वहा इन्कार करेगा जहां कि अनुज्ञापन प्राधिकारी लोकशान्ति की सुरक्षा के लिये या लोक क्षेम के लिये

ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार करना आवश्यक समझता है। इसी प्रकार **आयुध अधिनियम की धारा-17(3)(ख) अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को ऐसी कालावधि के लिये, जैसी वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगा या अनुज्ञप्ति को प्रतिंसहृत कर सकेगा, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलंबित करना या प्रतिंसहृत करना लोकशान्ति की सुरक्षा के लिये या लोकक्षेम के लिये आवश्यक समझे।** हस्तगत प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदक की आपराधिक प्रवृति को देखते हुए आवेदक श्री अमृतपुरी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग किये जाने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नहीं की है। स्पष्ट है कि आवेदक पर तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए व आवेदक की आपराधिक प्रवृति से शस्त्र के दुरूपयोग होने की पूर्ण संभावना है, लोक शान्ति की सुरक्षा आवश्यक होने से शस्त्र अनुज्ञा नवीनीकृत किया जाना उचित नहीं होने से उक्त रिपोर्ट एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपना मत अभिलिखित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा उक्त लाईसेंस निलंबित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा विधिक प्रावधानों का अनुसरण करते हुए जो आदेश दिनांक 10.05.2018 पारित किया, उसमें कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है, उक्त आदेश लोकहित के दृष्टिगत है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 10.05.2018 में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से **अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है** और **जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 10.05.2018 यथावत रखा जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर